

प.क.प. प. ८०१-८०,०००-५५

पुराणा बार, वी. लैन्स ४

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-२)विभाग

क्रमांक ०१०१७(१४)चिस्था / २/०९

जयपुर, दिनांक: २६/८/११

निदेश क्र.(जन प्रवा)

भिवि. सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थानपुर।

विषय:-अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

॥डो. .

परोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बजट शीर्ष 4210-01-796-(02)

[०१] २८-विध व्यय (आयोजना) में राशि ₹० 225.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख बाहर) व। अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत कर राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटीज को स्थानांतरित। इन्हें हेतु अग्रिम रूप से आहरित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति गिम्न। केता शर्तों के अध्यधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है।

- (१) उक्त स्वीकृति व्याप्ति का उपयोग नवीन 100 डी.डी.सी. (प्रति डी.डी.सी. ₹० 2.25 लाख की दर से) निर्भित करने हेतु ही किया जा सकेगा।
उक्त स्वीकृत अग्रिम राशि का समायोजन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत। निर्धारित समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करावे।
उक्त स्वीकृत अतिरिक्त प्रावधान का समायोजन अनुपूरक अनुदान मांग/संशोधित अनुमान वर्ष 2011-12 में यथासमय कराया जाना सुनिश्चित करावे।

26/८/११ उक्त स्वीकृति वित्त(व्यय-१)विभाग की आई.डी.संख्या 101102908 दिनांक 26.08.11 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रति: पि निम्न। केता सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

१-प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

२-प्रान निदेशक(एनआरएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थानपुर।

३-प्रारंभी लेखा। परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, राजस्थानपुर।

४-शासन उप सचिव, वित्त(व्यय-१/बजट/आयोजना) विभाग, राजस्थानपुर।

५-प्रानीय सराहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थानपुर।

६-प्रानीषिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।

७-ए। ल. पत्राली

८-रामाना पत्राली।

उमरी
लेखाधिकारी